सं/No. 1/12/2014-वीएस (सीआरएस)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi – 110066
दूरभाष/Tele - फैक्स/Fax 26100678 ई-मेल - drg-crs.rgi@censusindia.gov.in
rkgautamiss.rgi@nic.in

दिनांक : 21.07.2015

सेवा में,

समस्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)

विषय : एकल माता-पिता/अविवाहित माता के मामले में बच्चे के जन्म के पंजीकरण के संबंध में माननीय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ।

महोदय,

आपका ध्यान एबीसी (अपीलकर्ता) बनाम राज्य (दिल्ली की एनसीटी), सिविल अपील नहीं... 2011 के एसएलपी (सिविल) नंबर 28367 से उत्पन्न हुए। यह अपील उच्च न्यायालय, दिल्ली के फैसले दिनांक 08-08-2011 के खिलाफ निर्देशित है। यह कहा अपील गार्जियन एंड वार्ड अधिनियम, १८९० की धारा 7 के तहत दायर की गई थी ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि: "यदि एक माता-पिता/अविवाहित मां अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करती हैं, तो संबंधित प्राधिकारियों को केवल उसे इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, और इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत अदालत का निर्देश न हो" । अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी नागरिक को किसी भी असुविधा या नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि माता-पिता जन्म को पंजीकृत करने में विफल या उपेक्षा करते हैं ।

3. उपर्युक्त निर्देश को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा के कड़ाई से अनुपालन के लिए संबंधित पंजीकरण पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी एकल माता-पिता/अविवाहित मां के बच्चे के जन्म पंजीकरण से वंचित न किया जाए । ऐसे में सिंगल पैरेंट का नाम जन्म रिकॉर्ड में लिखा जाएगा और दूसरे माता-पिता का नाम खाली रह जाएगा। ऐसे मामलों के पंजीकरण के लिए, माननीय अदालत द्वारा सुझाए गए अपेक्षित दस्तावेज को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। इस कार्यालय में इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(पी.ए. मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)